

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BU 900677


श्री गणेशाय नमः

किरायेदारी अनुबंध लेख

श्री ललित डोरिया पिता श्री राधेश्याम डोरिया,

निवासी-हाउस न 215 सोनकच्छ, खजुरिया कन्का, देवास (म.प्र.)

मो-7610712047 आधार नं 3564 8412 0433



.....प्रथमपक्ष / किरायेदार

श्री मुलचंद चौहान पिता श्री जगन्नाथ चौहान,

निवासी-251, निरंजनपूर, विजय नगर इन्दौर (म.प्र.)

.....द्वितीयपक्ष / मकानमालिक

मैं किरायेदार, आप मकान मालिक के हक्क व हित में यह किरायेदारी का
इकरारनामा निम्नानुसार लिख देता हूँ कि:-

यह कि, द्वितीयपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान क्रमांक 251, निरंजनपूर,
विजय नगर इन्दौर (म.प्र.) यहाँ पर स्थित है। सदर मकान की तल मंजिल पर एक रूम,
किचन, लैण्डिंग आदि बना हुआ है जिसे प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से दिनांक 01-07-2024
से किराये पर लेना स्वीकार किया है।

ATTESTED

अवरित.....2 पर

AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

3735

100 x 150

11 JUL 2024

~~श्री ललित विमलेश्वर झा~~

~~पता रास नरेश देवाम (नं. 7)~~

~~५५~~

~~अ. १५१८ ७०७ ३६५५१९१०~~

Devit

श्रीमती पूजा वर्मा

(स्टाम्प वेन्डर)
110, स्कीम नं. 114, प्लॉट-1, इन्दौर
मो. 9977429567



महोदय श्रीमान् श्री ललित विमलेश्वर झा
(प्र.म) पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र, 201-2019

महोदय श्रीमती पूजा वर्मा से ललित विमलेश्वर झा के कर्तव्य- १५५५१९१०, पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र

—महोदय श्रीमती पूजा वर्मा से ललित विमलेश्वर झा के कर्तव्य- १५५५१९१०, पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र, 201-2019 का नाम ललित विमलेश्वर झा के कर्तव्य- १५५५१९१०, पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र

महोदय श्रीमान् श्री ललित विमलेश्वर झा के कर्तव्य- १५५५१९१०, पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र

महोदय श्रीमती पूजा वर्मा से ललित विमलेश्वर झा के कर्तव्य- १५५५१९१०, पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र

ATTESTED

महोदय श्रीमान् श्री ललित विमलेश्वर झा के कर्तव्य- १५५५१९१०, पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र

महोदय श्रीमान् श्री ललित विमलेश्वर झा के कर्तव्य- १५५५१९१०, पतिव्रत श्रम शाली प्रमाणपत्र

AMIT KAUL

NOTARY

GOVERNMENT OF INDIA

INDORE

2) यह कि चरण एक में वर्णित सम्पत्ति को आगे सुविधा की दृष्टि से "उक्त स्थान" नाम से सम्बोधित किया गया है ।

3) यह कि, उक्त स्थान प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से अपने आवास हेतु रुपये 3,000-00 अक्षरी तीन हजार रुपये मात्र प्रतिमाह के मान से किराये पर लिया हैं। जिसके डिपॉजिट 3,000-00 अक्षरी तीन हजार रुपये मात्र प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को नगद अदा कर दिया है। एवं चालू माह का किराया रुपये 3,000-00 अक्षरी तीन हजार रुपये मात्र प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को नगद अदा कर दिया है।


4) यह कि, उक्त किरायेदारी के स्थान की समय अवधि आज दिनांक से 11 माह के लिए रहेगी एवं 11 माह के पश्चात यह अनुबन्ध लेख स्वमेव निरस्त माना जावेगा पश्चात प्रथमपक्ष तुरन्त उक्त स्थान को रिक्त करेगें, किन्तु यदि उपरोक्त किरायेदारी अवधि उभयपक्ष आपसी सहमति से बढ़ाते हैं तो किरायेदारी की राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अनुबन्ध लेख नवीन शर्तों के साथ तैयार किया जावेगा।

5) यह कि, मेन्टेनेन्स व्यय एवं बिजली का व्यय एवं पानी का व्यय प्रथमपक्ष के द्वारा वहन किया जावेगा जो कि उक्त स्थान की किरायेदारी में समिलित नहीं हैं। बिजली का मीटर लगा हुआ हैं। आज दिनांक को मीटर की रीडिंग यूनिट है, इससे आगे का बिल प्रथमपक्ष के द्वारा वहन किया जावेगा।

6) यह कि, द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को सुविधा के लिए पंखे, सी.एफ.एल, आदि सामान चालू कंडीशन में दिया हैं जिसे प्रथमपक्ष उक्त स्थान प्रथमपक्ष रिक्त करते समय उक्त सामान चालू कंडीशन वापस सुपुर्द करेगें।

7) यह कि, प्रथमपक्ष के द्वारा उक्त स्थान को 6 माह के पूर्व रिक्त नहीं किया जा सकेगा यदि फिर भी प्रथमपक्ष उक्त स्थान को 6 माह के पूर्व रिक्त करते हैं तो द्वितीयपक्ष आप प्रथमपक्ष से दिन का अतिरिक्त किराया पाने के अधिकारी होंगे।

8) यह कि, द्वितीयपक्ष उक्त स्थान खाली करावेगे तो प्रथमपक्ष को एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। और यदि प्रथमपक्ष उक्त स्थान खाली करेगे तो द्वितीयपक्ष को एक माह पूर्व इसी प्रकार सूचना देगे। अन्यथा द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष से उक्त स्थान छोड़ने की तारीख से एक माह की भाडे की रकम अधिक पाने के अधिकारी रहेगे।



ATTESTED
AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)

महोदय "सत्यमेव जयते" के अर्थ में यह प्रमाणित किया जाता है कि...

महोदय को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए...

महोदय को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए...

महोदय को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए...



महोदय को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए...

महोदय को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए...

महोदय को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए...

Handwritten signature or mark.



9) यह कि, द्वितीयपक्ष के द्वारा सूचना देने पर यदि प्रथमपक्ष के द्वारा उक्त स्थान खाली नहीं किया जाता है तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा की न्यायालीन कार्यवाही कर उक्त स्थान खाली करवा सकेंगे। जिसमें लगने वाले व्यय की जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेगी। यह कि, प्रथमपक्ष किरायेदारी वाले स्थान एवं कॉमन उपयोग के स्थान को छोड़कर अन्य किसी भाग का उपयोग या अतिक्रमण नहीं कर सकेगा।

10) यह कि, प्रथमपक्ष के द्वारा आवश्यकता अनुसार किरायेदारी के स्थान में रंग रोगन करवाते रहेंगे तथा प्रथमपक्ष मकान का रिक्त पजेशन द्वितीयपक्ष को देते वक्त रंग रोगन करवा के देवेंगे। अर्थात् उक्त स्थान जिस हालत प्रदान किया गया है वही हालत में प्रथमपक्ष आप द्वितीयपक्ष को वापिस करेंगे।

11) यह कि, प्रथमपक्ष ने उक्त स्थान आवास हेतु किराये पर लिया है इसके अतिरिक्त प्रथमपक्ष अन्य कार्य उक्त स्थान पर द्वितीयपक्ष की लिखित सहमती के पूर्व नहीं करेंगे तथा ना ही उक्त स्थान में किसी भी व्यक्ति का सम्मिलित करेंगे। प्रथमपक्ष के आवास के दौरान किसी भी प्रकार की लड़ाई, झगडे अथवा पुलिस रिपोर्ट, न्यायालयीन कार्यवाही आदि की समस्त जवाबदारी प्रथमपक्ष स्वयं की रहेगी जिसमें द्वितीयपक्ष की किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

12) यह कि, उक्त स्थान का किराया मैं आपको हर माह नियमित रूप से 01 से 05 तारीख के मध्य अदा करूंगा।

13) यह कि, उक्त स्थान की किरायेदारी समाप्ति के समय मैं आपको उक्त स्थान खाली कर उसका रिक्त कब्जा जिस अवस्था में आपसे प्राप्त किया हैं उसी अवस्था में आपको सोपकर आपसे डिपोजिट राशि प्राप्त करूंगा, किन्तु यदि भवन में अथवा किसी भी सामान में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की राशि आप द्वितीयपक्ष मेरी डिपोजिट राशि में से समायोजित करने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे।

14) यह कि प्रथमपक्ष उक्त स्थान पर किसी पोट भडेती को नहीं रखेंगे तथा ना ही अन्य व्यक्ति को उक्त स्थान में सम्मिलित करेंगे।

ATTESTED

अवरित....4 पर

AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M P)

Not a legal document. This is a placeholder for the first paragraph of text.

Not a legal document. This is a placeholder for the second paragraph of text.

Not a legal document. This is a placeholder for the third paragraph of text.

Not a legal document. This is a placeholder for the fourth paragraph of text.

Not a legal document. This is a placeholder for the fifth paragraph of text.

Not a legal document. This is a placeholder for the sixth paragraph of text.

Not a legal document. This is a placeholder for the seventh paragraph of text.



15) यह कि किरायेदार, किरायेदारी वाले स्थान को निरंतर शुद्ध, स्वच्छ, व सुन्दर रखेगा। प्रथमपक्ष के द्वारा किरायेदारी वाले स्थान में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ या अतिरिक्त लगावट द्वितीयपक्ष की सहमति के वगैर नहीं लगाई जावेगी। यदि कोई खर्च किया गया तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से मुजरा (धनराशि) नहीं पा सकेगा।

16) यह कि, उक्त स्थान के किरायेदार सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित थाने में द्वितीयपक्ष मकानमालिक के द्वारा दी जावेगी जिसमें प्रथमपक्ष के द्वारा पूर्ण रूप से सही जानकारी दी जावेगी अन्यथा समस्त जवाबदारी प्रथमपक्ष की ही रहेगी जिसमें द्वितीयपक्ष की किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी तथा प्रथमपक्ष दो फोटो, आई. डी. प्रुफ आदि उपलब्ध करावेगा।

यह किरायेदारी अनुबंध लेख प्रथमपक्ष (किरायेदार) ने आदि से अन्त तक पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने शरीर एवं मन-मस्तिष्क की सम्पूर्ण स्वस्थ अवस्था में, बिना किसी दबाव के दो साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो सही सनद् रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

इति, इंदौर

दिनांक : 01/07/2024

साक्षीगण :-

गवाह :-


1. हस्ताक्षर जितेन्द्र चौहान
नाम जितेन्द्र चौहान
पिता खैराराम चौहान
पता नं. 90, तिरंजनपुर इन्डोर

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (किरायेदार)

Caution

2. हस्ताक्षर खैराराम चौहान
नाम खैराराम चौहान
पिता भुवनेश्वर चौहान
पता नं. 93, तिरंजनपुर इन्डोर

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष (मकान मालिक)



ATTESTED

AMIT KAUL
NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
INDORE (M.P.)